न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–416/2026
उत्पन्न गम्हरिया थाना काण्ड सं0–57/26

1. ठल्लो शर्मा उर्फ रामचंद्र शर्मा उम्र लगभग 22 वर्ष पिता–बब्लू शर्मा
साकिन–गम्हरिया, वार्ड नं0–09 थाना–गम्हरिया जिला–मधेपुरा।
काराधीन /अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

जमानत आदेश

06–07–2026

दिनांक–26.04.2026 से काराधीन अभियुक्त ठल्लो शर्मा उर्फ रामचंद्र शर्मा का जमानत आवेदन जो गम्हरिया थाना काण्ड सं0–57/26 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिन्होने ऐसा कोई अपराध कारित नही किये है जैसाकि आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी मे वर्णित अभियोग है। आवेदक की ओर से पलटा मुकदमा वाद एस0सी0 /एस0टी0 कांड संख्या–08/26 किया गया है। धारा–118(1) एवं 109 बी0एन0एस के अलावे अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने का विशिष्ट अभियोग नहीं है। आवेदक की घटना मे कोई संलिप्तता नहीं है इसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि घटना के दिन आवेदक अपने ससुराल मे था। आवेदक एक मजूदर है जो बाहर रहकर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण एवं जीवनयापन करते है। आवेदक का कोई भी आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देशो का अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

Satish Kumar
06.07.26

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

–लगातार

न्यायालय :— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :—416/2026
उत्पन्न गम्हरिया थाना काण्ड सं0—57/26

लगातार
06—07—26

—अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि दि—22.03.26 करीब 08:30 बजे संध्या में सूचिका के पुत्र विभाष लाल दास जो मिस्त्री का काम करता है उससे ठल्लो शर्मा, प्रदीप कुमार तथा बिट्टू राम मजदूरी का 200/— रूपया घर आकर मांगने लगा तथा जिसपर विभाष बोला कि अभी नहीं है कल सुबह ले लीजिएगा तब तक वह सब गाली गलौज करने लगा उसके बाद पप्पू राम एवं अन्य दो अज्ञात व्यक्ति तीन मोटरसाइकिल से आया और उपरोक्त सभी मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा और जान मारने की नियत से सिर पर लोहे के रड़ से प्रहार किया जिससे वह काफी जख्मी हो गया। हल्ला सुनकर परिवार के लोग आये तो एक लड़का पप्पू राम को पकड़ लिए तथा घटना की जानकारी थाना को किया जिसके बाद पुलिस आई और पकडाए व्यक्ति तथा तीन पल्सर मोटरसाइकिल पुलिस को सुपुर्द कर दिया तत्पश्चात् पास के प्रा0स्वा0 केन्द्र गम्हरिया ले जाकर सूचिका के पुत्र ग्रामीणों द्वारा इलाज कराया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा—126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह—अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पुत्र विभाषलाल दास के साथ मारपीट करने व लोहे के रड से सिर पर मारकर जख्मी कर देने का अभियोग है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा कांड दैनिकी के पारा— 03, 07, व 08 मे अपने अपने बयान मे सूचिका तथा साक्षियों ने घ टना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जख्मी विभाषलाल दास के सिर एवं होंठ पर जख्म पाया गया है।

यद्यपि लगाया गया अभियोग गंभीर प्रकृति का है परंतु अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों मे उसी घटना को लेकर दोनो पक्षों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही हैं तथा आवेदक दिनांक 26.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000/—रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध—पत्र दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि आवेदक सम्पूर्ण विचारण के दौरान आवेदक उचित पैरवी करते रहेंगे।

लेखापित

Satish Kumar
06.07.26

(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0—2, मधेपुरा।